न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :– 16/2023

नत्थूराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट साकिन चक 9 एस पी डी 'ए' तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।

–अपीलाट

बनाम

1 महेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश
2 शारदा पत्नी हेतराम } अकवाम जाट साकिनान चक 9 एस पी डी 'ए' तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–उतरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलांट अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा
2. उतरवादी न. 1 व 2 अधिवक्ता सुरेन्द्र सुथार
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक :– 06.04.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2022, जिसकी रूह से उतरवादीगण के नाम की चक 9 एस.पी.डी.ए के पत्थर न 8/19 के रकबा की पैमाइश का आदेश दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाट स्वय गॉव चक 9 एस.पी.डी.ए का स्थायी निवासी है । इस चक चक 9 एस.पी.डी.ए के पत्थर नम्बरान 8/3, 8/4, 8/11. 8/12 इस प्रकार प्रत्येक पत्थर नम्बरान के किला न 1 ता 25 मे 25 बीघा व चारो पत्थर नम्बरान मे 100 बीघा रकबा आबादी भुमि के नाम का रकबा है, जहॉ चक 9 एस.पी.डी.ए की आबादी बसी हुई । इस आबादी के पत्थर न 8/11 के किला न 6 के रकबा अपीलाट का रिहायसी मकान है व अपीलाट के रिहायशी मकान से पुर्व मे फिरनी व उसके पश्चात पत्थर न 8/19 के किला न 1/1, 10/1, 11/1, 20/2, 21/2 मे से 0.025 – 0.025 हैक रकबा रास्ता के नाम है, जहॉ से रास्ता चालु है, व तत्पश्चात उतरवादी न 1 व 2 का पत्थर न 8/19 के किला न 1,2, 7 ता 24 का कुल 4.276 हैक अनकमाण्ड खातेदारी रकबा है तथा आबादी भुमि चक 9 एस.पी.डी.ए के पत्थर न 8/3 के पुर्वी पासा मे चिपता पत्थर न 99/392 का डिफरेन्स का पत्थर है, जिसमे केवल 5 ही किले है उसमे केवल किला न 1 मे 0.164 हैक व किला 10 मे 0.152 हैक व किला न 11 मे 0.139 हैक रकबा है जो रजीराम पुत्र सूगनाराम व किला न. 20 में 0.125 हैक रकबा गोपाल पुत्र टीकुराम के नाम है व किला न 21 मे 0.127 हैक रकबा इन्द्राज पुत्र श्योनारायण के नाम खातेदारी है। इससे पश्चिम मे पत्थर न 98/392 का रकबा पुरा मुरब्बा है, इससे उतर दिशा का पत्थर न 98/391 का मुरब्बा भी पूरा है। इस प्रकार 98/391 व 98/392 के किला न 5, 6, 15, 16, 25 का रकबा की सींव एक समान है व एक समान चोडाई एव लम्बाई मे समान है जो पुराना नक्शा मे सही दर्शाया है व पुराने राजस्व नक्शा के अनुसार ही नया का नक्शा बना हुआ व सिंचाई विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:25 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

789

Scanned with OKEN Scanner

के नक्शा के अनुसार ही पक्के खाले बने हुऐ है परन्तु अव चक 9 एस.पी.डी.ए के ऑन लाईन नक्शा मे 97/392 व 98/392 को राजस्व नक्शा मे करीब 13 बिस्वा रकबा पश्चिम की तरफ दर्शा रखा है इससे आबादी भुमि के पत्थर न 8/3 व 8/11 का रकबा 13 बिस्वा रकबा पश्चिम मे हो गया है व पत्थर न 8/19 का रकबा भी 13 बिस्वा पश्चिम की तरफ वर्तमान नक्शा मे दर्शा दिया है व वर्तमान ऑन लाईन नक्शा से पैमाईस की जाती हे तो पत्थर न 8/19 का रकबा आबादी भुमि मे आ जाता है व उतरवादीगण का रकबा नया नक्शा के अनुसार अपीलाट के घर मे आ जाता है व उतरवादीगण वर्तमान के गलत नक्शा से पैमाईस करवाकर अपीलाट के अर्सा दराज पुर्व बने मकानो को तुडवाना चाहती है जबकि पुर्व मे इस रकबा की पुर्व मे दिनांक 02.01.2015 व 07.01.2015 व दिनांक 13.05.2015 को पैमाईस हो चुकी है व उतरवादीया से पत्थर न 8/19 के किला न 1-10-11-20-21 मे से जैरकार रास्ता को खुलवाया था। वर्तमान मे अधिनस्थ न्यायालय मे पैमाईस के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का ने डिफरेन्स का विवरण भी किया है तथा उच्च अधिकारी को साथ लेकर जी.पी.एस.से पैमाईस करवाने का निवेदन किया था व नायाब तहसीलदार ने दिनांक 24.06.2022 को पटवारी हल्का से स्पष्ट रिपोर्ट मॉगी थी कि रकबा पेमाईस योग्य या नही परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर दिये इस प्रकार जब अधिनस्थ न्यायालय ने नये व पुराने नक्शा को मिलान किये बिना ही तथा वर्तमान ऑन लाईन राजस्व नक्शा को दुरूस्त किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया है जबकि राजस्थान सरकार राजस्व (भू0अ0) विभाग के आदेश दिनांक 07.08.1992 राजस्व कानुन के प्रावधानो के अनुसार वर्षा काल व खडी फसल मे पैमाईस नही हो सकती तथा उतरवादीगण अब नये गलत नक्शा के अनुसार बिना ब्लाक का पत्थर निकाले आबादी भुमि से चिपती दोनो तरफ की डिफरेन्स का रकबा की सही स्थिती निकाले पैमाइस करवाकर आबादी से चिपता रास्ता व आबादी भुमि के रकबा पर कब्जा करना चाहती है अपीलाट आबादी चक 9 एस.पी. डी.ए का वासिन्दा है इसलिये जैर अपील आदेश के विरूध अपील पेश करने का हकदार है व अपीलाट के पीठ के पीछे जैर अपील आदेश पारित हुए है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूध अपील पेश करने मे हुई देरी माफ की जाकर अपील स्वीकार कर जैर अपील आदेश निरस्त कर राजस्व नक्शा के दुरूस्त होने के पश्चात ब्लाक का पत्थर नम्बर निकाल कर जी.पी.एस मशीन से आबादी से पुर्व व पश्चिम के तीन तीन पत्थर नम्बरान व डिफरेन्स का रकबा पर झण्डिया लगाकर सी पैमाईस करवाई जाने का निवेदन किया।

3. अपील दिनांक 25.01.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलाट के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनकर रेस्पोडेंट के खिलाफ पत्थर न 8/19 के किला न 1-10-11-20-21 के रकबा की यथास्थिती बनाये रखने के आदेश दिये व रेस्पो को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश किया गया।

4. उतरवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपील मे वर्णीत तथ्यो का तथा धारा 96 सीपीसी व स्थगन प्रार्थना पत्र व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाव देकर एकतरफा स्थगन निरस्त करने का निवेदन किया व अपील खारीज करने का निवेदन किया व पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना, पारित किया है व जैर अपील चक का नक्शा गलत है व गलत नक्शा से पैमाईस करवाकर अपीलाट के घरो मे उतरवादीया घुसना चाहती है जबकि अपीलाट ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष नक्शा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है व अपील मे वर्णीत तथ्यो के आधार पर अपीलाट को हितबद्व होने से अपील पेश करने का हकदार मानते हुऐ अपील पेश करने मे हुई देरी माफ की जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6. उतरवादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व नक्शा सही है अपीलाट अपने रकबा की पैमाईस करवाना चाहती है तथा अपीलाट को जैर अपील पेश करने का अधिकार नही है व अपील मियाद बाहर हे तथा पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि राजस्व नक्शा के दुरूस्ती की कार्यवाही जैर कार है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। यह बात सही है कि अपीलाट चक चक 9 एस.पी.डी ए का रहने वाला है के वर्तमान नक्शा मे पत्थर न 96/392 व 97/392 व 98/392 का रकबा पश्चिम मे दर्शा रखा है जिससे आबादी भुमि के पत्थर न 8/3 व 8/11 का करीब 13 बिस्वा रकबा पश्चिम की और दर्शाया हुआ है जिससे उतरवादी का रकबा भी पश्चिम की और दर्शाया गया है व इसी नक्शा के अनुसार पैमाईस होती हे तो उतरवादीगण का रकबा आबादी की तरफ बढेगा व अपीलाट के आबादी भुमि मे बने हुऐ मकानो की तरफ की उतरवादीगण का रकबा आ जावेगा व पत्थर न 8/19 के किला न 1–10–11–20–21 का रास्ता भी बन्द हो जावेगा व अधिनस्थ न्यायालय के आदेशो से अपीलाट के हित प्रभावित हो रहे इसलिये अपीलाट का 96 सी पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा जैर अपील आदेश अपीलाट के पीठ पारित परित हुऐ है तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है, इसलिये मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व जैर अपील आदेश जो चक 9 एस.पी.डी ए के वर्तमान नकशा का दुरूस्त किये बिना पारित किये गये है, इसलिये अपील अपीलाट स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ ।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट/तहसीलदार सूरतगढ़ चक 9 एस.पी.डी 'ए' का वर्तमान ऑन लाईन राजस्व नक्शा सक्षम न्यायालय से दुरूस्त करावे। दुरूस्ती की कार्यवाही अपीलांट/तहसीलदार सूरतगढ़ दो माह में पूर्ण करे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.04.2023

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner